राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– आ.शि.स/2017/1–5 दिनांक : 10.1.17.

1. समस्त संयुक्त निदेशक,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
   राजस्थान।

2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   राजस्थान।

3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
   राजस्थान।

4. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी
   राजस्थान।

,विषय : महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध,एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 (2013 का 14) के अध्याय द्वितीय आंतरिक शिकायत समितियो के गठन के कम में।

संदर्भ : इस कार्यालय का पूर्व में प्रेषित पत्रांक निदेशक/पीए/2014/2 दिनांक 27.03.14 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको निदेशालय महिला अधिकारिता (महिला संरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा जारी किये गये परिपत्र की प्रति एवं गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रेषित कर नियमानुसार संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय एवं खण्ड स्तरीय आन्तरिक शिकायत समितियो का गठन कर आवश्यकतानुसार समितियों की बैठक आयोजित करने एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया गया है कि कुछ चिकित्सा संस्थानो में आज दिनांक तक भी आन्तरिक शिकायत समितियों का गठन नहीं किया गया है जो की उच्चाधिकारियों के आदेशो की स्पष्ट अवहेलना है अतः आप आंतरिक शिकायत समितियो के गठन के सम्बंध में की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को तीन दिवस में अवगत करवाते हुये तथा उक्त की प्रतिलिपि प्रेषित करते हुये यह सुनिश्चित करे कि दिनांक 13.01.17 तक आवश्यक रूप से आपके एवं अधीनस्थ कार्यालयो में नियमानुसार उक्त समितियों का गठन कर लिया जाये।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– आ.शि.स/2017/1–5. दिनांक : 10.1.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभागं, राजस्थान जयपुर।
3. कार्यालय पत्रावली।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि इसे आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
(महिला संरक्षण प्रकोष्ठ)
जे–7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र

क्रमांक:एफ16(4)(5)/निमअ/यौ.उत्पी./11/ 65765 जयपुर दिनांक:– [illegible]

परिपत्र

महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का 14) के अध्याय II- **आंतरिक शिकायत समितियों** का गठन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:–

1. अधिनियम की धारा 4 (1) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता को अपने कार्यस्थल के लिए एक **आंतरिक शिकायत समिति का गठन** किया जाना आवश्यक है। ऐसे कार्यालय/प्रशासनिक इकाई जिनके कार्यस्थल विभिन्न संभागों अथवा उपखंड स्तर पर स्थित है, **आंतरिक शिकायत समिति** का गठन प्रत्येक कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाई पर किया जाना आवश्यक है।

2. आंतरिक शिकायत समिति का गठन नियोक्ता के द्वारा निम्नानुसार किया जाएगा:–

(अ.) अध्यक्ष के पद पर ऐसी महिला का नामांकन किया जाए जो उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत हो। यदि ऐसी वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो संबंधित संस्था के अन्य कार्यालय अथवा प्रशासनिक इकाईयों में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जाएगा। यदि उस कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों अथवा प्रशासनिक इकाईयों में भी ऐसी वरिष्ठ स्तरीय महिला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो उस नियोक्ता के अन्य कार्यस्थलों अथवा विभाग अथवा संगठन में कार्यरत महिला कर्मचारी को नामांकित किया जावे।

Dir/AIDS/
[illegible] 2014
S.(AIDS)

(ब.) कम से कम दो सदस्यों को उस कार्यस्थल के सभी कार्यरत कर्मचारियों में से नामांकित किया जावे जो महिलाओं से संबंधित विषयों के प्रति कार्य करने में पर्याप्त अनुभवी एवं समर्पित हों तथा जिनको सामाजिक कार्य अथवा कानूनी जानकारी हो।

(स.) [illegible] ऐसा स्वयं सेवी संगठनों में से नामित किया जावे जो महिलाओं के विषयों के प्रति समर्पित हो एवं ऐसा व्यक्ति यौन शोषण के मुद्दे में पर्याप्त जानकारी रखता हो।

बशर्ते की उपरोक्तानुसार नामित सदस्यों में से कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए।

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से नियोक्ता द्वार निर्धारित अवधि के अनुसार (अधिकतम 3 वर्ष) किया जाएगा।

4. स्वयं सेवी संगठनों में से नामित सदस्यों को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही क आयोजन के लिए मानदेय/भत्ते तथा यात्रा पर उसके द्वारा खर्च की गयी राशि क भुगतान महिलाओ का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष नियम, 2013 के अनुसार दिये जा सकेगें।

5. अध्यक्ष एवं मनोनीत सदस्यों को अधिनियम की धारा 16 के विरूद्व एवं अन्यथा जैस अधिनियम की धारा 4(5) में प्रदत्त है, कार्य करने पर पदच्युत किया जा सकेगा ए इसके फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति अथवा अन्यथा उत्पन्न रिक्ति को अधिनियम के अंतर्ग नवीन नियुक्तियों से भरा जा सकेगा।

6. अधिनियम के अध्याय VII की धारा 20 (a) की पालना में जिला अधिकारी (जिल कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) द्वारा:

(a) स्थानीय शिकायत समितियों द्वारा नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तुतिकर की निगरानी की जाएगीं।

(b) यौन शोषण एवं महिला अधिकारों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लि स्वयं सेवी संगठनों को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगें

7. अधिनियम के अध्याय VIII की धारा 21 (1) की पालना में:

(1) आंतरिक शिकायत समितियों के द्वारा प्रत्येक कलैण्डर वर्ष के लिए निर्धारि फार्म में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर नियोक्ता एवं जिला अधिकारी को प्रेषि की जाएगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे होगें:

(i) वर्ष मे प्राप्त लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या;

(ii) ऐसी शिकायतों की संख्या जिनका वर्ष के दौरान निस्तारण किया गया;

(iii) ऐसे मामलो की संख्या जो 90 दिन से अधिक अवधि तक लंबित है;

(iv) लैंगिक उत्पीड़न के विरूद्ध क्रियान्वित कार्यशालाओं या जागरूकत कार्यक्रमों की संख्या;

(v) नियुक्ता या जिला अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही का स्वरूप;

(2) जिला अधिकारी के द्वारा धारा 21(1) के अंतर्गत प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों के आध पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी।

आदेश से

(विपिन चंद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग